यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, देहरादून, उत्तराखंड** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, देहरादून, उत्तराखंड** के माह **अप्रैल 2019 से मार्च 2020** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री प्रवीर घोष, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पंकज कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 11.07.2020 से 29.07.2020 तक श्री एस. के. त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

(ii) **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा माह 04/2018 से माह 03/2019 तक की लेखापरीक्षा श्री एस. एस. दरियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री ए. के. मिश्रा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं सुश्री रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री आर. एस. नेगी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में दिनांक 05.05.2019 से 20.05.2019 तक की गयी थी।

(iii) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार:**

परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, देहरादून, उत्तराखंड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के वाहनों के राष्ट्रीय परमिट, परिवहन से संबन्धित विभिन्न प्रकार के अनुमोदन, सड़क सुरक्षा, दुर्घटना राहत निधि, ग्रीन सेस इत्यादि हेतु उत्तरदायी हैं।

(iv) बजट

(अ) लेखा परीक्षा अवधि में योजनावार बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिकअवशेष		मुख्य लेखाशीर्ष	स्थापना		गैरस्थापना		आधिक्य	बचत	टिप्पणी
	स्थापना	गैरस्थापना		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय			
2017-18	-	-	0041, 4041, 2041	3031	2781	14336	14336	-	250	-
2018-19	-	-	,,	3341	3194	2238	2222	-	163	-
2019-20	-	-	,,	3774	3375	7635	7580	-	454	-

(v) विगत तीन वर्षों में अर्जित राजस्व का ब्योरा निमन्वत है:

वित्तीय वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2017-18	73172.36
2018-19	79763.16
2019-20	88002.00

(vi) इकाई को बजट आवंटन केंद्र एव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "**A**" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड

↓

परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग

↓

संभागीय अधिकारी, परिवहन विभाग

↓

सहायक संभागीय अधिकारी, परिवहन विभाग

(vii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, देहरादून, उत्तराखंड** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, देहरादून, उत्तराखंड** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखापरीक्षा द्वारा व्यय विवरण के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह **फरवरी 2019** को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया।

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर- 1 हल्द्वानी में अंतर्राज्जीय बस अड्डे के निर्माण पर ठेकेदार को ब्याज के रूप में धनराशि ₹ 155.54 लाख का अदेय लाभ (Undue Benefit), ` 2.00 करोड़ अग्रिम का वसूल न किया जाना व धनराशि ₹ 298.96 लाख का निष्फल व्यय।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 48 में निर्दिष्ट व्यवस्था अनुसार साधारणतः ठेकेदारों को अग्रिम दिया जाना वर्जित है किन्तु शासन अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अधीन अग्रिम के समायोजन अथवा कटौती तक ब्याज की शर्त के अधीन अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या DGW/Main/143 दिनांक 05.02.2007 में भी स्पष्ट किया गया था कि ठेकेदार के प्रस्ताव पर अनुबंध की शर्तानुसार ठेकेदारों को निविदा राशि के 10% तक 10% साधारण ब्याज की दर पर संचालन अग्रिम दिया जा सकता है।

शासनादेश संख्या 23/ix/223/2007 दिनांक 15 जनवरी 2008 द्वारा जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में ई.पी.सी. (Engineering Procurement and Construction) प्रणाली के अंतर्गत अंतर्राज्जीय बस अड्डे (आईएसबीटी) की स्थापना हेतु प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया था जिस हेतु वन विभाग द्वारा 8 हेक्टेयर वन भूमि गैरवानिकी कार्यों हेतु परिवहन विभाग को मार्च 2015 में इस शर्त के साथ प्रत्यावर्तित की थी कि संदर्भित वन भूमि प्रयोक्ता एजेंसी के उपयोग में तब तक रहेगी जब तक प्रयोक्ता एजेंसी को उसकी आवश्यकता रहेगी, यदि प्रयोक्ता एजेंसी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता नहीं रहेगी तो उक्त भूमि मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जाएगी। अगस्त 2015 में M/s College Design, Mumbai को Design and DPR Preparation Agency नामित किया गया था। प्रारंभ में M/s कोलाज डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा परियोजना आगणन प्रस्ताव ₹ 60.00 करोड़ का प्रस्तुत किया गया किया गया था जिसके आधार पर विभाग द्वारा प्रारम्भिक योग्यता निविदा (प्रि-क्वालिफिकेशन बिड) आमंत्रित की गयी थी जिसमें M/s NCC Limited एवं M/s Prasad and Company के प्रस्तावों को योग्य घोषित किया गया था। प्रारम्भिक योग्यता निविदा प्राप्ति के पश्चात विभाग द्वारा परियोजना में कतिपय अतिरिक्त मदों के समावेश तथा निर्माण दरों में परिवर्तन (वर्ष 2012 के Plinth Area दरों पर) के पश्चात ₹ 88.44 करोड़ का प्रस्ताव टी.ए.सी. वित्त विभाग को परीक्षण हेतु भेजा गया था जिस पर टी.ए.सी. वित्त विभाग द्वारा ₹ 82.02 करोड़ की सहमति प्रदान की गई थी। टी.ए.सी. वित्त विभाग द्वारा परीक्षित आगणन पर पूर्व में प्रारंभिक योग्य निविदा के आधार पर चयनित दोनों निविदा दाताओं से वित्तीय निविदा आमंत्रित की गई थी जिसमें न्यूनतम निविदा M/s NCC Limited से ₹ 90.02 करोड़ की प्राप्त हुई थी। चूंकि प्राप्त निविदा टी.ए.सी. द्वारा संस्तुत आगणन से अधिक थी अतः विभाग व निविदा दाता के मध्य नेगोशिएशन (Negotiation) के आधार पर तटबंध कार्य को हटाते हुए ₹ 76.48 करोड़ पर 0.65% का डिस्काउंट देते हुए ₹ 75.98 करोड़ पर कार्य करने की सहमति सफल निविदा दाता द्वारा दी गई थी जिसके आधार पर शासन द्वारा जून 2016 में राष्ट्रीय खेल आयोजन की तात्कालिता, पुनः निविदा आमंत्रित किए जाने पर लगने वाले समय एवं लागत में बढ़ोतरी के दृष्टिगत उपरोक्त नेगोशिएटिड (Negotiated) लागत ₹ 75.98 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। जुलाई 2016 में परिवहन विभाग एवं एनसीसी लिमिटेड के मध्य अनुबंध गठित किया गया था जिसमें आईएसबीटी के निर्माण हेतु 545 दिवस (दिनांक 01.08.2016 से 27.01.2018) का समय निर्धारित किया गया था। जून 2016 में ₹ 266.67 लाख व सितंबर 2016 में ₹ 494.00 लाख की राशि शासन द्वारा उक्त

निर्माण हेतु अवमुक्त की थी। अवमुक्त राशि ₹ 7.60 करोड़ को परिवहन आयुक्त द्वारा M/s एनसीसी लिमिटेड के मध्य संपादित करार के क्लॉज़ संख्या 14.2 के अनुरूप वर्ष 2016-17 में कार्यदाई संस्था को संचालन अग्रिम (Mobilisation Advance) के रूप में NEFT के माध्यम से भुगतान कर दिया गया था (सितंबर 2016)। क्लॉज़ संख्या 14.2 के अनुसार कार्यदाई संस्था को स्वीकृत संविदा राशि का 10% ब्याज रहित संचालन अग्रिम समान राशि की बैंक गारंटी के सापेक्ष बैंक गारंटी निर्गमन की तिथि से 18 माह के लिए दिया जाना था। मार्च 2017 में कार्यदाई संस्था द्वारा धनराशि ₹ 215.59 लाख का प्रथम चालू देयक आयुक्त कार्यालय को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसका भुगतान सम्प्रेक्षा तिथि (जुलाई 2020) तक लम्बित था। लम्बित देयक के अतिरिक्त परिवहन विभाग के नाम भूमि हस्तांतरण के संबंध में एन.पी.वी. हेतु ₹ 83.37 लाख का भुगतान जनवरी 2015 में वन विभाग को किया गया था। इस प्रकार, आई.एस.बी.टी. के निर्माण के संबंध में कुल ₹ 298.96 लाख (₹ 215.59 + ₹ 83.37 लाख) का व्यय विभाग द्वारा किया गया था। कार्यदाई संस्था द्वारा करार की शर्तों का उल्लंघन किए जाने के कारण जनवरी 2018 में विभाग द्वारा अनुबंध को निरस्त कर दिया गया था एवं कार्यदाई संस्था द्वारा ₹ 7.60 करोड़ के संचालन अग्रिम के सापेक्ष जमा ₹ 5.60 करोड़ की वैद्य बैंक गारंटी को विभाग द्वारा Invoke कर जनवरी 2018 में ही सुसंगत लेखा शीर्ष के अंतर्गत राजकोष में जमा करा दिया गया था। फरवरी 2018 में शासन द्वारा उक्त निर्माण के संबंध में चयनित स्थल पर तदसमय तक कराए गए समस्त कार्यों की समीक्षा, व्यय की गई धनराशि का आंकलन, नए स्थान का चयन एवं अपेक्षित भूमि की उपलब्धता आदि पर विचार करने हेतु प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड परिवहन निगम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। मार्च 2018 में उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी गई थी जिसमें अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि के सही आंकलन के सम्बन्ध में असमर्थता व्यक्त की गई थी। दिसंबर 2018 में शासन द्वारा आई.एस.बी.टी. की स्थापना हेतु पूर्ववर्ती समस्त कार्यवाही को निरस्त करते हुए पूर्व चयनित स्थल के स्थान पर आई.एस.बी.टी. हल्द्वानी एवं उत्तराखंड परिवहन निगम की वर्कशॉप की स्थापना उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के निकट स्थित वन विभाग की 10 हेक्टेयर भूमि में किए जाने का निर्णय लिया गया था।

इस प्रकार विभाग द्वारा अग्रिम के संबंध में उक्त संदर्भित नियमों की अनदेखी कर कार्यदाई संस्था/ठेकेदार के साथ ब्याज रहित अग्रिम का प्रावधान अनुबंध में किया गया था, परिणामस्वरूप कार्यदाई संस्था को ब्याज के रूप में ₹ 155.54 लाख का अदेय लाभ दिया गया था तथा रु 2.00 करोड़ वसूल किये जाने है। इसके अतिरिक्त स्थल परिवर्तन के कारण आई.एस.बी.टी. के निर्माण पर किया गया ₹ 298.96 लाख का व्यय भी निष्फल रहा।

इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त प्रक्रिया शासन के अनुमोदन के उपरांत की गई थी।

उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि शासकीय निर्देशों के बावजूद आयुक्त कार्यालय द्वारा संविदा की शर्तों में संशोधन नहीं किया गया था।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग 2 ब

प्रस्तर- 1 ₹ 110.18 करोड़ ग्रीन सेस की धनराशि का अवरूद्ध पाया जाना।

उत्तराखंड मोटरयान सुधार अधिनियम 2003 की धारा 4 की उपधारा 5 के अधीन देय कर के अतिरिक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण के विधिक उपाय लागू करने, शहरी परिवहन क्षेत्र में सुधार करने के लिए राज्य में सड़क पर चलने के लिए उपयुक्त वाहनों पर ग्रीन सेस के नाम से उपकर की ऐसी दर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, अधिरोपित एवं एकत्र किया जाएगा। इस निधि का उपयोग राज्य की नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों तथा नगर निगम क्षेत्र के भीतर निम्न कार्यों हेतु किया जाना था-

1-नगरीय क्षेत्र के लिए यातायात एवं परिवहन की विस्तृत योजना तैयार करन, इस हेतु विभिन्न सलाहकार संस्थाओं की नियुक्ति और उनके माध्यम से सर्वेक्षण करना।

2-नगरीय क्षेत्र के लिए यातायात की निर्बाध गति के लिए विस्तृत सचलता योजना तैयार करना।

3- यातायात के प्रभावी मॉनिटरिंग एवं प्रवर्तन हेतु यातायात सूचना प्रबंधन नियंत्रण केंद्र, कॉल सेंटर, मॉनिटरिंग यूनिट का निर्माण, संचालन एवं रख- रखाव, जिसमें आवश्यक इंफ्रास्ट्रिक्चर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का क्रय ।

4- यातायात एवं परिवहन की आवश्यकता हेतु विस्तृत डाटा बेस तैयार करना, इस हेतु आवश्यक इंफ्रास्ट्रिक्चर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का क्रय एवं रख- रखाव।

5- वाहनों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कार्यवाही करना, जिसमें प्रदूषण संयंत्रों का क्रय /संचालन/ रख- रखाव, प्रदूषण जांच हेतु मोबाइल टीमों का गठन।

6-विभिन्न प्रदूषण जांच केन्द्रों को वैब आधारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से जोड़ना, सॉफ्टवेयर का निर्माण, संचालन एवं रख- रखाव एवं इस हेतु आवश्यक हार्डवेयर तथा सर्वर/ सहायक उपकरणों की व्यवस्था करना।

7- सड़क सुरक्षा हेतु प्रभावी कार्य यथा- प्रवर्तन दलों को आधुनिक उपकरण, इंटेरसेपटर वाहन, एल्कोमीटर, स्पीड रडार गण एवं अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराना।

8- सड़क सुरक्षा हेतु प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही हेतु प्रवर्तन अधिकारियों/ प्रवर्तन दलों ले लिए वाहनों का क्रय।

9- सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालकों को लाइसेन्स जारी करने से पूर्व परीक्षण हेतु सिमुलेटर्स, औटोमेटिड ड्राइविंग टैक्स का निर्माण इत्यादि।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखंड, देहरादून अभिलेखों की विगत 8 वर्षों में (2012-13 से 2019-20) ₹ 110.18 करोड़ ग्रीन सेस की प्राप्ति हुई थी, जिसका व्यय वर्तमान लेखापरीक्षा तक नहीं किया गया था। ग्रीन सेस मद में इतनी बड़ी धनराशि अवरूद्ध पड़ी हुई है, जिसका उपयोग आशयित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा टिप्पणी की गयी कि 'ग्रीन सेस की मद में विभाग द्वारा प्राप्त धनराशि को खर्च किए जाने वाली मद में नियमानुसार आवंटित करने की कार्यवाही की जाएगी'।

अत: प्रस्तर उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाए जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर- 2 सत्यापित किए बिना ₹ 11.05 करोड़ का व्यय।

शासन द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न शासनादेशों के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, प्रदेश की सभी छात्राओं को विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/चिकित्सा/तकनीकी शिक्षण संस्थानों तक आने जाने के लिए एक ही यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले क्षेत्रों में तथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों व उनकी विधवाओं एवं उनके प्रथम पीढ़ी के उत्तराधिकारियों को उत्तराखंड परिवहन निगम कि बसों में नि:शुल्क यात्रा की प्रतिपूर्ति किए जानेका प्रावधान है। कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखंड, देहरादून के लेखाभिलेखों की *नमूना* लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यालय द्वारा उक्त प्रतिपूर्ति उत्तराखंड परिवहन निगम को की जा रही थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष	**वरिष्ठ नागरिकों हेतु व्यय राशि (₹ में)**	**छात्राओं हेतु व्यय राशि (₹ में)**	**स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों हेतु व्यय राशि (₹ में)**	**योग**
2019-20	94719749.00	11119548.00	1961676.00	**110500973.00**

आगे, जांच में पाया कि उक्त भुगतान परिवहन निगम को मात्र यात्रा विवरण के आधार पर किया जा रहा था। यात्रा विवरण के द्वारा किया जा रहा भुगतान परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा सत्यापित नहीं किया जा रहा था। उक्त सभी योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों को दिए जाने हेतु Direct Benefit Transfer (D.B.T.) हेतु विभाग/शासन द्वारा कोई कार्रवाई लेखापरीक्षा तक प्रारम्भ नहीं की गयी थी न ही विभाग द्वारा लाभार्थियों का Data Base तैयार किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों / छात्राओं को निशुल्क यता की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा विभिन्न स्वीकृति आदेशों के क्रम में परिवहन निगम को भुगतान किया गया है।

विभाग का उत्तरा मान्य नहीं है क्योंकि परिवहन निगम से देयक प्राप्त होने तथा लाभार्थियों द्वारा वास्तविक रूप से की गयी निशुल्क यात्रा की पुष्टि किए बिना ही परिवहन आयुक्त द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान परिवहन निगम को कर दिया गया है। साथ ही शासनादेश संख्या 162/2019/02/IX-2/2018 दिनांक 03.10.2019 के क्रम संख्या vii के प्रावधानों के अनुसार परिवहन निगम के प्रतिपूर्ति दावों को और अधिक प्रमाणित एवं पारदर्शी बनाने हेतु निशुल्क यात्रा के लाभार्थियों के संबंध में DBT व्यवस्था के किर्यान्वयन हेतु प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर डाइरैक्ट कैश ट्रान्सफर (Direct Cash Transfer) की सुविधा प्रबंश निदेशक, उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा लाभार्थियों को प्रदान किए जाने के कार्यवाही तत्काल प्राथमिकता पर की जाएगी। इस संबंध में विभाग द्वारा कोई भी उत्तरा नहीं दिया गया है।

अत: ₹ 11.05 करोड़ का प्रस्तर उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाए जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 3 - यथा कार्यवाही न किए जाने के फलस्वरूप बकाया राजस्व ₹ 10.80 करोड़ की वसूली न किए जाना।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, देहरादून की लेखा परीक्षा के दौरान पाया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में बकाया राजस्व एवं उसके सापेक्ष वसूली से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 381.06 लाख वसूली किया जाना शेष था और पुराना बकाया ₹ 699.53 लाख अवशेष था अतः कुल ₹ 1080.59 लाख (381.06 + 699.53) की वसूली किया जाना शेष था जोकि लेखापरीक्षा तिथि तक वसूल नहीं किया गया था जिसका विवरण निम्न है-

क्रम संख्या	संभाग का नाम	अवशेष बकाया	2019-20 का बकाया	कुल
1	देहरादून	510.12	90.47	600.59
2	पौड़ी	32.52	81.13	113.65
3	हल्द्वानी	80.85	139.88	220.73
4	अल्मोड़ा	76.04	69.58	145.62
		699.53	381.06	1080.59

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि वसूली कि प्रक्रिया जारी है।

अतः बकाया राजस्व ₹ 10.80 करोड़ की वसूली न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर-4 दुर्घटना राहत निधि की धनराशि नियमानुसार अवमुक्त न किया जाना।

उत्तराखंड सडक परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली 2008, (प्रथम संशोधन 2011, द्वितीय संशोधन 2017) में दुर्घट्ना में मृत्यु होने, गम्भीर रूप से घायल होने तथा दुर्घटना में सामान्य रूप से घायल होने कि स्थिति में इस निधि से क्रमश: ₹ 1-1 लाख, ₹ 40 हज़ार एवम ₹ 10 हज़ार राहत सहायता दिए जाने का प्रावधान है। नियमावली के नियम 31 में निहित प्रावधानो के अनुसार, सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट की संस्तुतिया प्राप्त होने पर ऐसी निधि से राहत की धनराशि स्वीकृत कर ड्राफ्ट के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराई जाएगी, जो उनके द्वारा राहत के हकदार व्यक्तियो में वितरित की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट, जिसकी अधिकारिता में दुर्घट्ना हुई हो नियम 4 के उपनियम 1 के अधीन राहत के लिए व्यक्तियो की हक्दारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, यथासाध्य किसी ऐसे अधिकारी से जांच कराएगा जो उपखंड मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का न हो।

जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के पश्चात अगले माह की पांचवी तारीख तक पूर्ववर्ती माह में जनपद में घटित सडक दुर्घट्नाओ, वितरित की गयी धनराशि, सम्बन्धित वाहन दुर्घट्ना के विवरण, मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट, वितरित धनराशि की प्राप्ति रसीद सहित, परिवहन आयुक्त को प्रेषित की जाएगी। वितीय वर्ष के अंत में जिलाधिकारी द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष के आय-व्यय का लेखा-जोखा तथा खाते में अवशेष धनराशि का विवरण अगले वित्तीय वर्ष की पंद्रह अप्रैल तक परिवहन आयुक्त, उत्तराखंड सडक परिवहन दुर्घटना राहत निधि को प्रेषित किया जाएगा।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखंड, देहरादून के सडक परिवहन दुर्घटना राहत निधि सम्बन्धी अभिलेखो की जांच की गयी। अभिलेखो की जांच में पाया कि वर्ष 2019-20 में किसी भी जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा निधि के उपयोग, मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट, वित्तीय वर्ष पूर्ण होने के पश्चात भी जिलाधिकारी कार्यालयो द्वारा वर्ष के आय-व्यय का लेखा-जोखा परिवहन विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया।

दुर्घट्ना राहत निधि के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 09 जिलाधिकारियों को ₹ 13864758 की धनराशि दुर्घटना राहत निधि में आबंटित की गयी थी लेकिन जिलाधिकारियों द्वारा दुर्घटना राहत निधि के विवरण, मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट व वितरित धनराशि की प्राप्ति रसीद परिवहन आयुक्त को आतिथि तक अप्राप्त है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जिलाधिकारियों द्वारा मजिस्ट्रिएल जांच कि प्रति नहीं दी जाती है। विभाग द्वारा मजिस्ट्रिएल जांच रिपोर्ट एवं वित्तीय राशि का विवरण उपलब्ध करने का अनुरोध जिलाधिकारियों से किया गया है।

दुर्घटना राहत निधि कोष से वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 1.39 करोड़ विभिन्न जिलाधिकारियों को बिना मजिस्ट्रिएल जांच रिपोर्ट, वितरित धनराशि की प्राप्ति रसीद के बिना धनराशि अवमुक्त किया गया जोकि नियमों के विरुद्ध था। अतः प्रस्तर उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 (ब)</u>

प्रस्तर -5 : ₹ 83.90 करोड़ के विभिन्न भुगतानों के लिए रोकड़ बही का संधारण न किया जाना।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखंड, देहरादून के अभिलेखों की जांच में लेखापरीक्षा दल ने पाया कि कार्यालय द्वारा अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक की अवधि में रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया था जबकि कार्यालय द्वारा प्रस्तुत BM -5 statements की जांच में लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभिन्न भुगतानों के लिए ₹ 83.90 करोड़ का व्यय किया गया था रोकड़ बही संधारित न किए जाने संबंधी कोई शासनादेश/विभागीय आदेश प्रतिलिपि लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि इकाई द्वारा subsidiary रोकड़ बही बनाई गयी है, परंतु Subsidiary रोकड़ बही में तो इकाई द्वारा दिन-प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के कर एवं फीस का लेखा-जोखा रखा जाता है। लेखापरीक्षा को इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा विभिन्न प्रकार के भुगतानों के लिए कोई रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में कोई शासनादेश/विभागीय आदेश ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया।

अतः **₹ 83.90 करोड़** के विभिन्न भुगतानों के लिए रोकड़ बही का संधारण न किए जाने तथा जांच के लिए लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर- 6 विभिन्न कार्यालयों को आवंटित एवं अवशेष धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार अभिलेखों का अनुरक्षित न किए जाना।

उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलेकट्रानिक रिकार्ड दाखिल,सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली, 2011 दिनांक 04 मई, 2011 को अधिसूचना जारी की गई थी। मोटर यानो के राजिस्ट्रीकरण, परमिट, फ़िटनेस, चालन अनुज्ञप्ति, कंडक्टर अनुज्ञप्ति, कर/ अतिरिक्त कर एवं ततसंबंधी कार्यो से संबन्धित किसी अभिलेख के लिए मोटरयान अधिनियम,1988 एवं तदधीन बनाए गए नियमो तथा उत्तराखंड मोटर यान सुधार अधिनियम, 2003 एवं तदधीन बनाए गए नियमो के अधीन देयकर/ अतिरिक्त कर, फीस के अतिरिक्त इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड्स दाखिल, सृजित एवं जारी करने के लिए प्रति संब्यवहार ₹20 यूजर चार्ज लिया जाएगा, परंतु यह कि यदि निर्गत किया जाने वाला प्रपत्र स्मार्ट कार्ड चिप सहित के रूप में होगा तो संब्यवहार यूजर चार्ज की धनराशि ₹100 प्रति संब्यवहार होगी। इस धनराशि को नियमावली (संशोधित 2012 के) के नियम 7(1) एवं (2) के मदों में ब्यय किया जाना है। उल्लिखित नियमावली का प्रथम संशोधन, 2012 में किया गया था, के अनुसार यूजर चार्ज निधि में प्राप्त धनराशियों का प्राप्ति रसीद, राज्य स्तरीय प्रवंध समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप पर दी जाएगी तथा उसकी प्रविष्टि प्रति दिन केवल इस निमित्त रखी गई रोकड बही में की जाएगी। खाते में प्राप्त सभी धनराशि का सत्यापन संबन्धित कार्यालयाध्यक्ष या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निम्न अभिलेख भी रखे जाएंगे:-

i) बैंक पास बुक,
ii) चैक बुक रजिस्टर
iii) राज्य स्तरीय समिति /जिला स्तरीय समितियों की बैठकों का विवरण एवं संबन्धित अभिलेख
iv) स्वीकृत एवं ब्यय की गई धनराशियों का अभिलेख
v) दैनिक रोकढ़ वही
vi) ऑडिट आदि संबन्धित अभिलेख

कार्यालय परिवहन आयुक्त की लेखा परीक्षा के दौरान उक्त लिखित अभिलेख मांगी गई थी, जिसमे से मात्र चैक बुक और चैक जारी पंजीका ही उपलब्ध कराई गई, के अनुसार वर्ष 2019-20 में कुल ₹ 68226769.00 विभिन्न संभागीय/सहायक संभागीय कार्यालयों को जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त कोई भी अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है। विभाग के द्वारा आतिथि तक बैंक खाता के सापेक्ष पास बुक तक प्राप्त नहीं किया गया है। आवश्यक अभिलेखों का अनुरक्षण न किए जाने के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि वर्ष में इस मद में कितनी धनराशि जमा की गई थी और कितनी धनराशि ब्यय की गई है और कितनी धनराशि वर्ष के लिए स्वीकृत की गई थी। नियमावली के अनुसार निधि में प्राप्त एवं व्यय से संबन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण न किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग) में Electronic Record दाखिल सृजित करने के सापेक्ष प्राप्त User Charge को जमा किए जाने सम्बन्धित बैंक खाते में Online Transactions के अत्यधिक होने के कारण उक्त खाते की Bank Passbook बनाए जाने पर बैंक द्वारा असमर्थतता जताई गयी है जिसके कारण उक्त खाते के आय-व्यय का रोकड़ बही में प्रदर्शित किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। इकाई द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त संबंध में बैंक से वार्ता कर बैंक खाते का विवरण प्राप्त किए जाने तथा रोकड़ बही निर्माण किए जाने संबंधी सूचना अथवा रोकड़ बही आगामी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कर दी जाएगी।

अतः विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि यथा नियमानुसार धनराशियों का आय-व्यय का विवरण अनुरक्षित न किया जाना वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर - 7 : रोकड़ बही एवं Subsidiary रोकड़ बही अनियमित संधारण किया जाना।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखंड, देहरादून के अभिलेखों की जांच में लेखापरीक्षा दल ने पाया कि कार्यालय द्वारा अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक की अवधि में एक Subsidiary रोकड़ बही का संधारण किया गया था, जिसमें प्रतिदिन Money Receipt के माध्यम से विभिन्न शुल्को (कर/फीस) के रूप में जो नकद राशि कार्यालय द्वारा प्राप्त की जाती है उनका लेखा-जोखा रखा जाता है। नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभिन्न शुल्को (कर/फीस) के रूप में कुल नकद ₹ 75479710/- प्राप्त किए गए थे परंतु Subsidiary रोकड़ बही को आहरण एवं वितरण अधिकारी के निरीक्षण के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में एक बार भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। Subsidiary रोकड़ बही के किसी भी माह के अंत मे लेखाबन्दी प्रमाण-पत्र नहीं बनाया गया था तथा किसी भी माह मे आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया है। रोकड़ बही को निर्धारित प्रारूप में भी संधारित नहीं किया गया था, एक पंजिका में ही प्रतिदिन की प्राप्तिओ को इंदराज किया गया था। Subsidiary रोकड़ बही को निर्धारित प्रारूप में भी संधारित नहीं किया गया था, एक पंजिका में ही प्रतिदिन की प्राप्तियों को इंदराज किया गया था। इसके अतिरिक्त कार्यालय द्वारा रोकड़ बही का संधारण भी नहीं किया जा रहा है।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि Subsidiary रोकड़ बही का संधारण किया जा रहा है एवं भविष्य में Subsidiary रोकड़ बही को आहरण एवं वितरण अधिकारी के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

लेखापरीक्षा को इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि रोकड़ बही का संधारण नहीं किया जा रहा है एवं निर्धारित प्रारूप में Subsidiary रोकड़ बही का संधारण भी नहीं किया गया था एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में एक बार भी आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया था।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 8 : ₹ 747.90 लाख के उपयोगिता प्रमाण-पत्र न प्राप्त किया जाना ।

वित्तीय नियमों के अनुसार किसी भी कार्य को कराने के लिए कार्यदाई संस्था को जो धनराशि दी जाती है, उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यदायी संस्था से लिया जाना चाहिए तथा उसके बाद ही कार्यदायी संस्था को और धनराशि अवमुक्त की जानी चाहिए।

विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को विभिन्न कार्यों को करने के लिए दी गयी धनराशि से संबन्धित निम्नलिखित सूचना कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखंड, देहरादून के अभिलेखों की जांच में पायी गयी:

(धनराशि ₹ लाख में)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृत बजट	कार्यदायी संस्था को अवमुक्त धनराशि	मार्च 2020 तक कुल व्यय	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त (धनराशि ₹ में)	कार्यदायी संस्था का नाम
1	ऋषिकेश में ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना	44.55	20.00	20.00	--	उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड
2	रामनगर में ISBT की स्थापना	13.65	13.33	13.33	--	ऊ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड
		221.28	200.00	200.00	--	उत्तराखंड पेयजल निर्माण निगम
3	अल्मोड़ा में ISBT की स्थापना	1649.90	828.15	828.15	697.97	ऊ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड
4	भवाली में बस अड्डे का निर्माण	348.39	348.39	348.39	--	उत्तराखंड पेयजल निर्माण निगम
5	भगवानपुर में बस अड्डे का निर्माण	88.86	36.00	36.00	--	उत्तराखंड पेयजल निर्माण निगम
6	चालकों के प्रशिक्षण हेतु ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैकस का निर्माण	75.98	30.39	30.39	30.39	उत्तराखंड पेयजल निर्माण निगम
	योग	**2442.61**	**1476.26**	**1476.26**	**728.36**	

अभिलखों कि जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को मार्च 2020 तक कुल **₹ 1476.26 लाख** अवमुक्त किया गए है, परंतु कार्यदायी संस्थाओं से केवल ₹ 728.36 लाख के उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय द्वारा प्राप्त किए गए है तथा **₹ 747.90 लाख** के उपयोगिता प्रमाण-पत्र लेखापरीक्षा तिथि (जुलाई 2020) तक कार्यालय द्वारा अप्राप्त हैं।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि धनराशि शासन स्तर से अवमुक्त की गई थी तथा शेष उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के लिए पत्र प्रेषित किए गए हैं। इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि आयुक्त कार्यालय द्वारा अवमुक्त की गयी थी, अतः विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भी कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तराखंड की थी।

अतः इकाई द्वारा **₹ 747.90 लाख** के उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर- 9 विभागीय शिथिलता के कारण ₹ 22.67 लाख प्रशमित कर न वसूला जाना।

वाहन स्वामियों द्वारा उनके वाहनों के परमिट समाप्त हो जाने के पश्चात वाहन स्वामी द्वारा समाप्त परमिट न तो कार्यालय में जमा किया जाता है और न ही परमिट के नवीनीकरण का आवेदन यथा समय किया जाता है। वाहन स्वामी ऐसी दशा में कर आदि जमा कर वाहन का संचालन अनधिकृत रूप से करता रहता है, जिससे एक ओर जहां अनधिकृत संचालन को बढ़ावा मिलता है, वहीं दूसरी ओर वैध प्रपत्रों के वाहन संचालन पर घटित दुर्घटना में मृतक/घायलों को सहायता राशि प्रदान किया जाना संभव नहीं हो पाता है। परिवहन आयुक्त, देहरादून की लेखा परीक्षा में पाया कि कार्यालय द्वारा वाहनों को All Uttrakhand एवं All India हेतु परमिट जारी किए जाते हैं, वाहन स्वामियों द्वारा उनके वाहनों की परमिट समाप्त हो जाने के पश्चात भी वाहन स्वामियों द्वारा समाप्त परमिट न तो कार्यालय में जमा किया जाता है और न ही परमिट नवीनीकरण का आवेदन यथा समय में ही किया जा रहा है, जिस कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 में All Uttrakhand में Taxi वाहनों के कुल 107 वाहन एवं 112 Taxi वाहनों और 11 बस वाहनों (सूची संलग्न) के परमिट समाप्त हो गए हैं जिस पर नियमानुसार क्रमशः ₹ 627500/-, ₹ 710000/- एवं ₹ 65000/- का कुल ₹ 1402500/- का प्रशमित शुल्क जमा किया जाना चाहिए था जोकि नहीं किया गया था इसी प्रकार All India परमिट में कुल 126 Taxi/Maxi वाहनों एवं 06 बस वाहनों (सूची संलग्न) का परमिट समाप्त हो गया था जिस पर नियमानुसार क्रमशः ₹ 830000/- एवं ₹ 35000/- कुल ₹ 865000/- प्रशमित शुल्क वसूल नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि परमिट धारक द्वारा परमिट का नवीनीकरण नहीं कराया गया है या निरस्त के लिए कार्यालय में आने पर निर्धारित रीति के अनुसार प्रशमित शुल्क जमा करवाया जाएगा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यालय द्वारा वाहनों को All Uttarakhand एवं All India परमिट पर कुल ₹ 2267500 (₹142500 + ₹865000) का प्रशमित शुल्क लेखापरीक्षा तिथि तक वसूल नहीं किया जा सका है। प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर का विवरण		
		भाग –II (अ)	भाग –II (ब)	STAN
1	52/2003-04	1	1	शून्य
2	49/2015-16	शून्य	1	1,2,3,4
3	62/2016-17	शून्य	1,2,3,4	शून्य
4	08/2018-19	1	1,2,3,4,5	शून्य
5	07/2019-20	1,2	1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा बताया गया कि अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारी की संस्तुति के साथ यथाशीघ्र प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहरादून के कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, देहरादून, उत्तराखंड** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य

3. वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
i.	**श्री शैलेश बगौली**	**परिवहन आयुक्त**	**23.07.2018 से 31.03.2020**

4. वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यालय से संबंद्ध रहे:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
i.	**श्री एस. के. सिंह**	**उप परिवहन आयुक्त**	**01.04.2019 से 31.03.2020**

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, देहरादून, उत्तराखंड** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार, ए.एम.जी.-II(Non PSU), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-2481095** को प्रेषित किया जाए।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II (Non-PSU)